



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था)
पो 00 – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006 (उत्तराखण्ड)

Indian Council of Forestry Research and Education
(An autonomous Body of Ministry of Environment Forests & Climate Change, Govt. of India)
P.O. New Forest, Dehra Dun – 248006



No. 3-17/2018-ICFRE (RB)/ 258

Dated the 23rd August, 2019

CIRCULAR


With reference to this office circular of even number dated 07th August, 2019, it is to inform that while uploading the status in the online recruitment portal, **some technical error has occurred in the status of applications for Entomology Discipline**. The correct status of applications has been re-uploaded in the portal and your Application Status can be checked by using your login ID (Registration No.) and password (Date of birth). In this regard, the following is clarified and no representation on the following shall be accepted: -

- i) Documents submitted which are not legible, have not been considered, as per Para-9 (iv) of the Advertisement.
- ii) No additional documents will be accepted for reconsidering the candidature. It will be based on only the documents submitted earlier and if documents requested have not been uploaded, the candidature will not be considered.
- iii) The nomenclature of the degrees of the eligibility qualification and the specialization shall be strictly as per the Advertisement. The equivalence of the degrees has not been mentioned in the Advertisement and will not be considered.
- iv) The candidates must possess the degree as prescribed in the advertisement and the specialization should be only from the essential qualification as mentioned. The uploaded documents should clearly specify and mention the special/elective papers/dissertation topic in the subject of specialization.

The candidates are requested to submit representations through Helpdesk clearly stating as to how the documents submitted by them are satisfying the terms and conditions of the advertisement and why the reason for rejection is not applicable in their case. **The representations which are not specific in these aspects will not be considered.**

The acceptance of applications is only provisional. In the event of any information being found false or incorrect at any stage, or not satisfying the eligibility criteria according to the requirement of the advertisement, candidature/appointment shall be cancelled/terminated. Candidates shall liable to produce original documents and any other documents related to their eligibility, whenever the same are requested.

Representations, if any and in cases which comply strictly with the terms and conditions of the Advertisement, can be submitted through the “**Helpdesk**”, available in the online Recruitment Portal (recruitment.icfre.gov.in) till **05:00 PM on 03.09.2019**. No other mode of communication, like E-mail/by post etc. will be accepted/replied or considered. **Candidates are requested to communicate only through the Helpdesk.**


Assistant Director General,
Education & Recruitment Board,
Indian Council of Forestry Research and Education



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था)
पो० ऑ० - न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखण्ड)



Indian Council of Forestry Research and Education
(An autonomous Body of Ministry of Environment Forests & Climate Change, Govt. of India)
P.O. New Forest, Dehra Dun - 248006

संख्या- 3-17/2018-आईसीएफआरई (आरबी)/258

दिनांक 23 अगस्त, 2019

परिपत्र


इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 07 अगस्त, 2019 के संदर्भ में, यह सूचित करना है कि ऑनलाइन भर्ती पोर्टल में आवेदनो की स्थिति अपलोड करते समय, **कीट विज्ञान विषय के लिए आवेदन की स्थिति में कुछ तकनीकी त्रुटि हुई थी।** आवेदनों की सही स्थिति को पोर्टल में फिर से अपलोड किया गया है और आपकी लॉगिन आईडी (पंजीकरण संख्या) और पासवर्ड (जन्म तिथि) का उपयोग करके आपके आवेदन की सही स्थिति की जांच की जा सकती है। इस संबंध में, निम्नलिखित को स्पष्ट किया जाता है और निम्नलिखित पर कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा: -

- प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जो सुपाठ्य नहीं हैं, उन्हें विज्ञापन के पैरा 9 (iv) के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया है।
- उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह केवल पहले प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर आधारित होगा और यदि अनुरोध किए गए दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया गया है, तो उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- पात्रता योग्यता की डिग्री के नाम और विशेषज्ञता पर विचार विज्ञापन के अनुसार ही किया जाएगा। डिग्रियों की समानता का विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया है और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों के पास विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित योग्यता डिग्री होनी चाहिए और विशेषज्ञता केवल न्यूनतम आवश्यक योग्यता में होनी चाहिए। अपलोड किए गए दस्तावेजों में विशेषज्ञता के विषय में विशेष / वैकल्पिक प्रश्नपत्र / शोध प्रबंध विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे हेल्पडेस्क के माध्यम से यह स्पष्ट करते हुये कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कैसे विज्ञापन के नियमों और शर्तों को पूरा कर रहे हैं और अस्वीकृति का कारण उनके मामले में लागू नहीं है, अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। **जो अभ्यावेदन इन पहलुओं को पूरा नहीं करते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

आवेदनों की स्वीकृति केवल अनंतिम है। किसी भी सूचना को किसी भी स्तर पर असत्य या गलत पाए जाने की स्थिति में, या विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने पर, उम्मीदवारी / नियुक्ति को रद्द / समाप्त कर दिया जाएगा। जब भी अनुरोध किया जायेगा, उम्मीदवार मूल दस्तावेजों और उनकी पात्रता से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

विज्ञापन के नियमों और शर्तों के पूरी तरह से अनुरूप आवेदन पत्रों के मामलों में, यदि कोई है, तो "हेल्पडेस्क" के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती पोर्टल (recruitment.icfre.gov.in) पर **दिनांक 03.09.2019 को 05:00 बजे तक** प्रत्यावेदन जमा किया जा सकता है। प्रत्यावेदन के लिये संचार का कोई अन्य माध्यम, जैसे ई-मेल / डाक आदि स्वीकार्य नहीं होगा और न ही उसका उत्तर दिया जायेगा और न उस पर विचार किया जायेगा। **उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे हेल्पडेस्क के माध्यम से ही संवाद करें।**


सहायक महानिदेशक,
शिक्षा और भर्ती बोर्ड,

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद